

राजस्थान सरकार  
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक:—प.3(24)नविवि / 3 / 2003

जयपुर, दिनांक: **7 AUG 2013**

1. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
2. सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. सचिव, नगर सुधार न्यास .....(समस्त), राजस्थान।

विषय:— प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान विविध छूट दिए जाने हेतु वित्त विभाग

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान वित्त विभाग द्वारा जारी की गयी निम्न अधिसूचनाएं सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित हैं :—

1. अधिसूचना क्रमांक एफ.2(60)एफ.डी./टैक्स/12-52 दिनांक 02.08.2013 — धारा 90-ए/90-वी के अन्तर्गत नगर निकायों में निहित भूमि का नगर निकायों द्वारा आवंटन/नियमन उपरान्त जारी पट्टों के पंजीयन पर रटाम्प शुल्क में छूट बाबत।
2. अधिसूचना क्रमांक एफ.2(60)एफ.डी./टैक्स/12-53 दिनांक 02.08.2013 — नगर निकायों या सरकार के अन्य निकायों/उपकर्मों द्वारा आवंटित/विक्रय की गयी रथावर सम्पत्ति के संबंध में अवधिपार निष्पादित विलेखों के पुर्ववैध एवं पुनः निष्पादित होने के बाद पंजीयन पर रटाम्प शुल्क में छूट बाबत।
3. अधिसूचना क्रमांक एफ.2(70)वित्त/कर/12-55 दिनांक 02.08.2013—राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि के गैर-कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा एवं आवंटन) 2012 के अन्तर्गत दिये जाने वाले शापथ—पत्रों पर लगने वाले रटाम्प डियूटी पर प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान छूट बाबत।
4. अधिसूचना क्रमांक एफ.2(60)एफ.डी./टैक्स/12-54 दिनांक 02.08.2013 — नगर निकायों या सरकार के अन्य निकायों/उपकर्मों द्वारा आवंटित/विक्रय की गयी रथावर सम्पत्ति के संबंध में निष्पादित विलेखों के पंजीयन पर रटाम्प शुल्क में छूट बाबत।
5. अधिसूचना क्रमांक एफ.2(19)एफ.डी./टैक्स/2007-56 दिनांक 02.08.2013—नगरीय निकायों द्वारा आवंटित एवं विक्रय की गयी रथावर सम्पत्ति के अमुद्रांकित तथा अपंजीकृत दस्तावेजों के आधार पर हरतान्तरण किये जाने पर अन्तिम केता के नाम लीज डीड जारी होने की स्थिति में रटाम्प डियूटी में छूट बाबत।

भवदीय,  
  
(प्रकाश चन्द्र शर्मा)  
संयुक्त शासन सचिव—तृतीय

राजस्थान सरकार  
वित्त (कर) विभाग

जयपुर, दिनांक: 02.8.2013

अधिसूचना

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना सभीयीन है, आदेश देती है कि राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90ए या तत्समय प्रवलित धारा 90बी के अन्तर्गत जयपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर विकास प्राधिकरण, नगर नियम, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर सुधार न्यास तथा अन्य स्थानीय निकायों में निहित भूमि का इन निकायों द्वारा सुरक्षित विधि/नियमों के अन्तर्गत आवंटन/नियमन उपरान्त जारी पट्टों का पंजीयन दिनांक 30.9.2013 तक करने की स्थिति में स्टाम्प ड्यूटी घटाकर सम्पत्ति के बाजार मूल्य के स्थान पर निम्नानुसार देय होगी:

1. यदि पट्टा विलेख स्वयं खातेदार के पक्ष में अथवा पूर्ण मुद्राकित दस्तावेजों के आधार पर लौज ग्रहीता के पक्ष में निष्पादित किया जाता है तो स्टाम्प ड्यूटी 500/- रुपये देय होगी।
2. यदि पट्टा विलेख दिनांक 30.09.2012 तक निष्पादित अमुद्राकित या अपर्याप्त रूप से मुद्राकित दस्तावेजों के आधार पर लौज ग्रहीता के पक्ष में निष्पादित किया जाता है तो स्थानीय निकायों का देय राशि यथा नियमन शुल्क, रुपान्तरण शुल्क, विकास शुल्क, व्याज पैनल्टी की राशि एवं दो वर्ष के औसत किसाये की राशि को प्रतिफल मानते हुए कन्वरा पर स्टाम्प ड्यूटी की प्रवालेत दर से स्टाम्प ड्यूटी देय होगी।
3. उपरोक्त निकायों के द्वारा नियमन उपरान्त आवंटित भूखण्डों के संबंध में निष्पादित विलेख/लिखत पंजीयन अधिनियम, 1908 की धारा 23 व 25 के अनुसार निर्धारित 8 (आठ) माह की अवधि में पंजीकृत नहीं कराकर उपरोक्त निकायों से पुनर्विध एवं पुनर्निष्पादित करावाकर दिनांक 30.9.2013 तक पंजीयन नेतृ प्रस्तुत किया जाता है तो एसे विलेख/लिखत या स्थानीय निकायों का देय राशि यथा नियमन शुल्क, रुपान्तरण शुल्क, विकास शुल्क, व्याज, पैनल्टी की राशि को प्रतिफल मानते हुए कन्वरा पर स्टाम्प ड्यूटी की प्रवालेत दर से स्टाम्प ड्यूटी देय होगी।

उक्त अधिसूचना तुरन्त प्रवृत्त होगी एवं अदा की जा वुकी स्टाम्प ड्यूटी का रिफण्ड देय नहीं होगा।

(सं.एफ.2(60)एफ.डी./टैक्स/12-52)  
राजस्थान के आदेश रो.

(आदित्य पारीक)  
सायुक्त शासन संविव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषिता है:

1. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को असाधारण राजपत्र भाग 4 (ग) में प्रकाशनार्थ। कृपया इसकी 10 प्रतियाँ इस विभाग को तथा 20 प्रतियाँ महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान अजमेर को मय बिल मिजवाने की व्यवस्था करावे।
2. प्रगुख रायिव, nii. मुख्यमंत्री (वित्त) महोदय।
3. गहालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य रायिव, नगरीय विकास, औवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग।
5. महानिरीक्षक, पंजायन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान अजमेर।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग।
8. निजी रायिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि विभाग।
9. निजी सचिव, शासन रायिव, वित्त (राजस्व) विभाग।
10. निदेशक, जन सम्पर्क निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।
11. सिस्टम एनलिस्ट, वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग।
12. रक्षित पञ्चाली।

संयुक्त शारान सचिव

## राजस्थान सरकार

वित्त (कर) विभाग

जयपुर, दिनांक: 02.8.2013

## अधिसूचना

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीक्षीय है। एवं द्वारा आदेश देती है कि राज्य सरकार, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर विकास प्राधिकरण, नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर सुधार न्यास, कृषि उपज मण्डी एवं मण्डी समिति, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति राजस्थान औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड (रीका), राजस्थान राज्य सहकारी आवासन संघ या राज्य सरकार के किसी आन्य निकाय/उपकम द्वारा आवंटित/विक्रय की गई स्थावर सम्पत्ति के संबंध में उनके द्वारा निष्पादित विलेख/लिख्त पंजीयन के लिए निर्धारित समयावधि अर्थात् निष्पादन की दिनांक से 8 (आठ) माह की अवधि में पंजीकृत नहीं कराकर उपरोक्त निकायों/संस्थाओं/उपकमों से पुनर्वैध एवं पुनः निष्पादित करवाकर दिनांक 30.9.2013 तक पंजीयन हेतु प्रस्तुत किये जाते हैं तो ऐसे विलेखों या लिख्तों पर देय स्टाम्प ड्यूटी धटाकर सम्पत्ति के बाजार मूल्य के स्थान पर निम्न प्रकार देय होगी:

क्र.	विवरण	देय स्टाम्प ड्यूटी
सं.		
1	1 विलेख/लिख्त जो पुनर्वैध एवं सरकार/स्थानीय निकाय/उपकम द्वारा ब्याज पुनः निष्पादन की दिनांक से दो शास्ति, दो वर्ष के ओसत किराये (यदि कोई हो) माह की अवधि में पंजीयन के आदि की राशि को समिलित करते हुए प्रतिफल के लिए प्रत्युत्तम किये जाते हैं। 2 विलेख/लिख्त जो पुनर्वैध एवं सरकार/स्थानीय निकाय/उपकम द्वारा ब्याज पुनः निष्पादन की दिनांक से दो शास्ति, दो वर्ष के ओसत किराये (यदि कोई हो) माह पश्चात एवं चार माह की आदि की राशि को समिलित करते हुए प्रतिफल के अवधि में पंजीयन के लिए प्रत्युत्तम किये जाते हैं। 3 विलेख/लिख्त जो पुनर्वैध सरकार/स्थानीय निकाय/उपकम द्वारा ब्याज पुनः निष्पादन की दिनांक से दो शास्ति, दो वर्ष के ओसत किराये (यदि कोई हो) माह पश्चात एवं आठ माह की आदि की राशि को समिलित करते हुए प्रतिफल के अवधि में पंजीयन के लिए प्रत्युत्तम किये जाते हैं।	3
		रुप में ली गई कुल राशि पर कन्वेंस की दर से।
		रुप में ली गई कुल राशि पर कन्वेंस की दर से।
		रुप में ली गई कुल राशि में 25 प्रतिशत की वृद्धि कर उस पर कन्वेंस की दर से।
		रुप में ली गई कुल राशि में 50 प्रतिशत की वृद्धि कर उस पर कन्वेंस की दर से।


उक्त अधिसूचना तुरन्त प्रवृत्त होगी एवं अदा की जा चुकी स्टाम्प ड्यूटी का रिफण्ड देय नहीं होगा।

(सं.एफ.2(60)एफ.डी./टैक्स/12-53)  
राज्यपाल के आदेश से,

(आदित्य पारीक)  
रांगुलत शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को असाधारण राजपत्र भाग 4-(ग) में प्रकाशनार्थ। कृपया इसकी 10 प्रतियाँ इस विभाग को तथा 20 प्रतियाँ महानीरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्राक विभाग, राजस्थान अजमेर को मय विल गिजवाने की व्यवस्था करावे।
2. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री (वित्त) महोदय।
3. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
4. अतिरिक्त गुरुख सचिव, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत शासन विभाग।
5. महानीरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्राक विभाग, राजस्थान अजमेर।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग।
8. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि विभाग।
9. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग।
10. निदेशक, जन सम्पर्क निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।
11. सिस्टम एनालिस्ट, वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग।
12. रक्षित पत्रावली।

  
राम्युक्ष शासन सचिव


राजस्थान सरकार  
वित्त (कर) विभाग

जयपुर, दिनांक: 02.8.2013

अधिसूचना

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 की धारा 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीक्षीय है, एरादङ्कारा राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोग के लिए उपयोग की अनुमति एवं आवंटन) नियम, 2012 के अंतर्गत भू-उपयोग परिवर्तन की अनुमति हेतु नियम 4 के उप-नियम (1) या नियमितिकरण के लिए नियम 16 के उप-नियम (1) के अधीन प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ आवेदक द्वारा प्रशारान शहरों के संग अभियान के दौरान दिनांक 30.9.2013 तक प्रस्तुत किये जाने वाले शास्त्रीय पत्रों पर देय स्टाम्प ड्यूटी में छूट प्रदान करती है।

(सं.एफ.2(70)वित्त / कर / 12-55)  
राज्यपाल के आदेश से,

  
(आदित्य पारीक)  
राम्युक्त शासन समिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनाथं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:

1. अधीक्षक लाज केन्द्रीय गुद्रणालय, जयपुर को असाधारण राजपत्र भाग 4 (ग) ग प्रकाशनार्थी। कृपया इसकी 10 प्रतियां इस विभाग को तथा 20 प्रतियां महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान अजमेर को मध्य विल मिजवाने की व्यवस्था करावे।
2. प्रमुख सचिव, मा सूख्यमंत्री (वित्त) गहोदय।
3. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
4. अतिरिक्त गृहस्व रायिव नगरीय निकास, आवारान एवं रवायत शासन विभाग।
5. महानिरीक्षक पञ्चायन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान अजमेर।
6. निजी रायिव, प्रमुख शासन रायिव, वित्त (राजरव) विभाग।
7. निजी रायिव, प्रमुख शासन रायिव, रायिव, रायस्व विभाग।
8. निजी रायिव, प्रमुख शासन रायिव, वित्त विभाग।
9. निजी रायिव, शासन रायिव, वित्त (राजरव) विभाग।
10. निदेशक, जन सम्पर्क निदेशालय राजस्थान, जयपुर।
11. सिस्टम एमालिस्ट, वित्त (कम्प्यूटर रैल) विभाग।
12. रक्षित पत्रावली।

  
राम्युक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार  
वित्त (कर) विभाग

जयपुर, दिनांक: 02.8.2013

अधिसूचना

राजस्थान राष्ट्रीय अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना सभीवीन है, एतद्वारा आदेश देती है कि राज्य सरकार, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर विकास प्राधिकरण, नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर नगराराय, कृषि उपज गणी एवं मण्डी समिति, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, राजस्थान औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम तिमिटेड (रीको), राजस्थान राज्य सहकारी आवासन संघ या राज्य सरकार के किसी अन्य निकाय/उपकम द्वारा आवेदित/विक्रय की गई रथावर सम्पत्ति के संबंध में उनके द्वारा निष्पादित समस्त विलेखों/ लिखतों पर देय स्टाम्प ड्यूटी घटाकर दिनांक 30.9.2013 तक सम्पत्ति के बाजार मूल्य के रथान पर निम्न प्रकार देय होगी:-

क्र.सं.	विवरण	देय स्टाम्प ड्यूटी
1	2	3
1.	विलेख/लिखत निष्पादन की सरकार/स्थानीय निकाय/उपकम द्वारा व्याज, दिनांक से 2 माह की अवधि में शास्ति, दो वर्ष के औसत किराये (यदि कोई पंजीयन हेतु प्रस्तुत होने पर। हो) आदि की राशि को समिलित करते हुए प्रतिफल के रूप में ली गई कुल राशि की दो तिहाई राशि पर कन्वेन्स की दर से।	
2.	विलेख/लिखत निष्पादन की सरकार/स्थानीय निकाय/उपकम द्वारा व्याज, दिनांक से 2 माह पश्चात एवं 4 माह की अवधि में पंजीयन हेतु प्रस्तुत होने पर। हो) आदि की राशि को समिलित करते हुए प्रतिफल के रूप में ली गई कुल राशि की दो तिहाई राशि में 25 प्रतिशत की वृद्धि कर उस राशि पर कन्वेन्स की दर से।	
3.	विलेख/लिखत निष्पादन की सरकार/स्थानीय निकाय/उपकम द्वारा व्याज, दिनांक से 4 माह पश्चात एवं 8 माह की अवधि में पंजीयन हेतु हो) आदि की राशि को समिलित करते हुए प्रतिफल के रूप में ली गई कुल राशि की दो तिहाई राशि में 50 प्रतिशत की वृद्धि कर उस राशि पर कन्वेन्स की दर से।	

उक्त अधिसूचना तुरन्त प्रवृत्त होगी एवं अदा की जा चुकी राष्ट्रीय ड्यूटी का रिफण्ड देय नहीं होगा।

(सं.एफ.2(60)एफ.डी./टैक्स/12-54)  
राज्यपाल के आदेश से,

(आदित्य पारीक)  
संयुक्त शासन समिति

**GOVERNMENT OF RAJASTHAN  
FINANCE DEPARTMENT  
(TAX DIVISION)**

Jaipur, dated: 02.8.2013  
**NOTIFICATION**

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999), the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby orders that stamp duty chargeable on every intermediary unregistered and unstamped instrument of transfer of immovable property executed after allotment/sale by Jaipur Development Authority, Jodhpur Development Authority, Rajasthan Housing Board, Urban Improvement Trust, Municipal Corporation, Municipal Council or Municipal Board, shall be reduced and charged on amount of original allotment instead of market value of the property, on the following conditions that:-

- (1) the leaseholder along with his lease deed shall submit a certificate before the Registering Officer issued by any of the above mentioned local authority stating therein the amount of original allotment, the number of intermediary unregistered and unstamped instruments executed in respect of the immovable property;
- (2) the Registering Officer shall ensure payment of above reduced stamp duty on every such intermediary unregistered and unstamped instrument before registering the lease deed; and
- (3) on the basis of such intermediary unregistered and unstamped instrument the lease deed shall be executed and submitted for registration upto 30.9.2013.

[No.F.2(19)FD/Tax/2007-56]  
By order of the Governor,

  
(Aditya Pareek)  
Jt. Secretary to the Government

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अधीक्षक राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को असाधारण राजपत्र भाग 4 (ग) में प्रकाशनार्थ। कृपया इसकी 10 प्रतियाँ इस विभाग को तथा 20 प्रतियाँ महानीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान अजगेर को गय बिल भिजवाने की व्यवस्था कराये।
2. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री (विरा.) महोदय।
3. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास, आवासन एवं रवायत शासन विभाग।
5. महानीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान अजगेर।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग।
8. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि विभाग।
9. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग।
10. निदेशक, जन सम्पर्क निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।
11. सिस्टम एनालिस्ट, वित्त (कम्प्यूटर सेल) विभाग।
12. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

**Copy forwarded to the following for information & necessary action:-**

1. Superintendent, Government Central Press, Jaipur for publication of this notification in part 4(C) of extra ordinary gazette. Along with a soft copy in CD. It is requested 10 copies of this notification may sent to this department and 20 copies along with bill may be sent to Inspector General, Registration & Stamps, Raj. Ajmer. Please ensure that soft copy in CD is same as hard copy provided to you for publication.
2. Principal Secretary to Hon'ble Chief Minister (Finance Minister), Raj., Jaipur.
3. Accountant General, Rajasthan, Jaipur.
4. Additional Chief Secretary, UDH and LSG Department, Raj., Jaipur.
5. Inspector General, Registration & Stamps, Rajasthan, Ajmer.
6. PS to Pr. Secretary, Finance Department.
7. PS to Pr. Secretary, Revenue Department
8. PS to Pr. Secretary, Law Department
9. PS to Secretary, Finance (Rev.) Department.
10. Director, Public Relation Department, Raj., Jaipur.
11. System Analyst, Finance (Computer Cell) Department, Secretariat, Jaipur.
12. Guard File.

  
Jt. Secretary to the Government